रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 1971/माघ 12, 1892

No. 87] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 1971/MAGHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the **30th** *January* 1971

S.O. 602.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its Notification No. 56/71-II, dated the 25th January, 1971, published in the extraordinary issue of the Gazette of India, Part II, Section (3(ii), dated the 27th January, 1971, namely:—

In Table 3, against the entry "25, Chandigarh" for the entries "(7) Boat and (8) Camel" the entries "(7) Boat, (8) Camel and (9) Rising "Sun" shall be substituted.

[No. 56/71-IV.]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1971

का० आ० 602.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण, नि र आयोग एतद्द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3 (ii), तारीख

27 जनवरी, 1971 को प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या 56/71-II, तारीख 25 जनवरी, 1971, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी 3 में, "25—चण्डीगढ़" प्रविष्टि के सामने "(7) नाव तथा (8) ऊंट" प्रविष्टियों के स्थान पर "(7) नाव, (8) ऊंट तथा (9) उदीयमान सूर्य" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं० 56/71-IV]

S.O. 603.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in the Notification No. 56/71-II, dated the 25th January, 1971, published in the extraordinary issue of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 27th January, 1971, namely:—

In Table 3—

(i) against the entry "2. Assam" for the entries "(9) Railway Engine and (10) Camel" the entries "(9) Railway Engine, (10) Camel and (11) Spade and Stoker" shall be substituted; and

(ii) against the entry "8. Madhya Pradesh" for the entries "(10) Bow and Arrow and (11) Swastik within a circle" the entries "(10) Bow and Arrow, (11) Swastik within a circle and (12) Spade and Stoker" shall be substituted.

[No. 56/71-V.]

का० आ० 603.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3(ii) तारीख 27 जनवरी, 1971, को प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या 56/71-II तारीख 25 जनवरी, 1971, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

सारणी 3 में—

(i) "2—आसाम" प्रविष्टि के सामने "(9) रेलवे इंजिन तथा (10) ऊंट" प्रविष्टियों के स्थान पर "(9) रेलवे इंजिन, (10) ऊंट तथा (11) फावड़ा और बेलचा" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; तथा

(ii) "8—मध्य प्रदेश" प्रविष्टि के सामने "(10) तीर—कमान तथा (11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक" प्रविष्टियों के स्थान पर "(10) तीर—कमान, (11) वृत्त के भीतर स्वस्तिक तथा (12) फावड़ा और बेलचा" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं० 56/71—V]

S.O. 604.—Whereas it has been reported to the Commission that there is a dispute between the two groups of the Republican Party of India a State party recognised in the State of Maharashtra and the symbol "Elephant" is its reserved symbol in that State;

And whereas the Commission made some suggestions and proposals to both sides regarding the use of the symbol "Elephant" for the current General Elections to the House of the People and various State Legislative Assemblies and the group led by Shri B. K. Gaikwad has not agreed to these suggestions and proposals of the Commission and no reply has been received from Shri B. D. Khobragade till 5 P.M. today;

And whereas in view of the fact that the general election to the House of the People has already been called by the President and there being no time for the

Commission to decide in accordance with paragraph 15 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, as to which of the two groups is the Republican Party of India for purposes of reservation of symbol 'Elephant' to its candidates;

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it by article 324 of the Constitution of India, rule 5 and rule 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and para 18 of the Elections Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and all other powers enabling it in that behalf, the Election Commission of India hereby directs:—

(a) that the symbol 'Elephant' reserved for the Republican Party of India in the State of Maharashtra referred to in Table 2 of the Commission's Notification No. 56/71-II, dated the 25th January, 1971, shall be withdrawn and shall remain so withdrawn until further orders; and

(b) that the symbol 'Elephant' which is a free symbol referred to in Table 3 of the Commission's Notification No. 56/71-II, dated the 25th January, 1971, in respect of the States of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Mysore, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal and Union Territories of Delhi and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, shall be withdrawn and shall remain so withdrawn until further orders, and the entries in Table 3 in respect of these States shall be renumbered after deleting the entry "Elephant".

[No. 56/71-VI.]

का० आ० 604.—यतः आयोग को यह रिपोर्ट मिली है कि भारत की रिपब्लिकन पार्टी के, जो महाराष्ट्र राज्य में एक मान्यता प्राप्त राज्यीयदल है और उस राज्य में 'हाथी' प्रतीक उसका आरक्षित प्रतीक है, दो ग्रुपों में विवाद है;

और, यतः, आयोग ने लोक सभा तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं के लिए वर्तमान साधारण निर्वाचनों के लिए 'हाथी' प्रतीक के प्रयोग के बारे में दोनों पक्षों को कुछ सुझाव और प्रस्ताव भेजे थे और श्री बी० के० गायकवाड़ के नेतृत्व वाला ग्रुप आयोग के इन सुझावों तथा प्रस्तावों से सहमत नहीं है, और आज 5 बजे अपराह्न तक श्री बी० डी० खोबरगाडे से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है;

और यतः, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रपति लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचनों की अपेक्षा पहले ही कर चुके है, और अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के अनुसार यह निर्णय देने के लिए आयोग के पास कोई समय नहीं है कि उस दल के अभ्यर्थियों के लिए 'हाथी' प्रतीक आरक्षित करने के प्रयोजनों के लिए इन दोनों ग्रुपों में से कौन सा ग्रुप भारत की रिपब्लिकन पार्टी है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10 तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि—

(क) आयोग की अधिसूचना सं० 56/71—II तारीख 25 जनवरी, 1971 की सारणी 2 में निर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में भारत की रिपब्लिकन पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक 'हाथी' वापस ले लिया जाएगा और आगे और आदेश होने तक, वह ऐसे ही प्रत्याहृत बना रहेगा; और

(ख) 'हाथी' प्रतीक जो आयोग की अधिसूचना सं० 56/71—II, तारीख 25 जनवरी, 1971 की सारणी 3 में आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मैसूर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली और लक्कादीव, मिनीकोय और अमीन दीवी द्वीप

समूह, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में एक मुक्त प्रतीक के रूप में निर्दिष्ट है, वापस ले लिया जाएगा, और आगे और आदेश होने तक यह ऐसे ही प्रत्याहृत बना रहेगा और इन राज्यों के सम्बन्ध में सारणी 3 में की प्रविष्टियां 'हाथी' प्रविष्टि को हटाने के बाद पुनः संख्याकित कर दी जाएंगी ।

[सं० 56/71–VI]

New Delhi, the 1st February 1971

S.O. 605.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its Notification No. 56/71-II, dated the 25th January, 1971, published in the extraordinary issue of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 27th January, 1971, namely:—

In Table 3, against the entry "20. Himachal Pradesh" for the entries "(7) Sparrow and (8) Boat" the entries "(7) Sparrow, (8) Boat and (9) Cultivator winnowing grain" shall be substituted.

[No. 56/71-VII.]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

नई दिल्ली, 1 फरवरी 1971

का० आ० 605.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3(ii), तारीख 27 जनवरी, 1971 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या 56/71-II, तारीख 25 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

सारणी 3 में "20–हिमाचल प्रदेश" प्रविष्टि के सामने "7–गोरैया तथा 8–नाव" प्रविष्टियों के स्थान पर "7–गोरैया, 8–नाव तथा 9–अनाज बरसाता हुआ किसान" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 56/71–VII]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971